कार्यालय आदेश संख्या :–787/NG/2019/Engg./SPJ

निम्नलिखित अभ्यर्थी जो अध्यक्ष रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पटना के पत्रांक– RRC/BCR&P/[illegible] दिनांक–03.07.2019 के अनुसार **ट्रैक मेंटेनर-IV, (इंजी0) लेवल–01** के पद पर नियुक्ति हेतु [illegible] चिकित्सा श्रेणी में उतीर्ण हैं, के द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव पत्र स्वीकार करने के उपरांत अस्थायी नियुक्ति [illegible] अंकित पद, वेतन लेवल, वेतन एवं स्टेशन / इकाई पर की जाती है:–

अभ्यर्थी का नाम (श्री / श्रीमती / कु0)	पिता का नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	समुदाय	चिकित्सा श्रेणी, प्रमाण पत्र सं0, एवं दिनांक	पदस्थापना पर लेवल–01 में वेतन निर्धारण
VIVEK PASWAN	PREM NATH PASWAN	20.10.1995	SC	Fit in A-2 & below DMO/DNR No-767719 Dt.-03.06.19	₹18000/-

सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर

विवेक पासवान

हस्ताक्षर (हिन्दी)

Vivek Paswan

हस्ताक्षर (अंग्रेजी)

पहचान चिन्ह: 1.A cut mark on left hand index
2. A mole on the right [illegible]

LTI /RTI(in case of Female Candidate)

इन्हें समय–समय पर स्वीकार्य भत्ता देय है। वेतन का लाभ इनके वास्तविक कार्यभार ग्रहण की तिथि से देय होगा। जहाँ नियुक्त पद पर प्रशिक्षण आवश्यक होगा, वहाँ संबंधित विभाग / अधिकारी द्वारा निर्धारानुसार प्रशिक्षण में अभ्यर्थी को सम्मिलित होना होगा।

इनकी नियुक्ति के संबंध में वे सभी शर्तें लागू होंगी जो एक अस्थायी कर्मचारी पर लागू होती हैं। दोषपूर्ण प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने अथवा शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत [illegible] समाप्त कर दी जायेगी। इन्हें प्रादेशिक रेलवे के रेलवे इंजीनियरिंग इकाई में 12 वर्षों तक तथा प्रादेशिक [illegible] सैन्य सेवा करनी होगी, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। इनकी सेवा रेलवे [illegible] F(E)/III/2003/PN-1/24 दिनांक 31.12.2003 द्वारा जारी सभी नियमों एवं विनियमों के अधीन नियोजित [illegible] नई पेंशन योजना एवं समय–समय पर बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों से शासित होगी।

[illegible]
सहायक कार्मिक [illegible]
समस्तीपुर
दिनांक 03.08.2019

संख्या: का / 227 / आरआरसी पैनल/सम / इंजी. / 2019
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. कमविप्र / सम0
2. कमइं(समन्वय)
3. संबंधित समइं
4. संबंधित दसोइं(रेल पथ)
5. कार्यांधी / एम0पी0पी0– वे कृपया इसे समस्तीपुर मंडल के वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
6. अभिलेख हेतु
7. मुकार्याधी पारा– कृपया उक्त कर्मचारी के पक्ष में समस्तीपुर से पदस्थापना स्थल तक कार्य [illegible] करने की व्यवस्था करें।
8. संबंधित कर्मचारी
9. मंडल मंत्री– ईसीआरकेयू0 ,ओबीसी एवं अजा–अजजा एशो0 / सम0

[illegible]
सहायक कार्मिक [illegible]
समस्तीपुर